सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 238/2012 दायर दिनॉक 17.12.2012

वादी		प्रतिवादीगण
1. पोकरराम पुत्र नानगराम, कौम–जाट, आयु–72साल, निवासी–दयालपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जगूराम पुत्र नानगराम, (फौत), के वारिशान्– 1/1 जैतुड़ी पत्नी जगूराम, 1/2 धन्नाम पुत्र जगूराम, 1/3 मेघाराम पुत्र जगूराम, 1/4 मोतीराम पुत्र जगूराम, 1/5 श्यानादेवी पुत्र जगूराम, 1/6 तुलछीदेवी पुत्री जगूराम, 1/7 केसरददेवी पुत्री जगूराम, 1/8 पप्पूदेवी पुत्री जगूराम, समस्त,कौम–जाट, निवासी–दयालपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. प्रबन्धक, पी.एन.बी., शाखा–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के वारिशान्।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **15.06.2018**

शरहद मौजा दयालपुरा तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 429 रकबा 33.15 बीघा भूमि, के बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादी का वाद दिनाँक 04.09.2017 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 238/2012
दायर दिनाँक 17.12.2012, निर्णय दिनाँक 15.06.2018
पोकरराम बनाम् जगूराम (फौत) के वारिशान्–, वगैरा।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट कैम्प–दयालपुरा में पत्रावली पेश हुई।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक 238 दिनांक 21.02.2018 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी ने आपत्ति पेश की। आपत्ति पर पक्षकारान को सुना गया। उक्त पत्रावली में तीन बार मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तीनों बार एक समान मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है। पक्षकारान तीन पीढियों से मौके पर मौका रिपोर्ट अनुसार काबिज है। अतः वादी की आपत्ति खारीज की जाती है।

बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन पत्रांक 382 दिनांक 21.02.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

<u>आदेश</u>

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा दयालपुरा तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 429 रकबा 33.15 बीघा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 238 दिनांक 21.02.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 238 दिनांक 21.02.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दयालपुरा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 15.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दयालपुरा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 238/2012 दायर दिनाँक 17.12.2012

वादी		प्रतिवादीगण
1. पोकरराम पुत्र नानगराम, कौम—जाट, आयु—72साल, निवासी—दयालपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जगूराम पुत्र नानगराम, (फौत), के वारिशान्— 1/1 जैतुड़ी पत्नी जगूराम, 1/2 धन्नाराम पुत्र जगूराम, 1/3 मेघाराम पुत्र जगूराम, 1/4 मोतीराम पुत्र जगूराम, 1/5 श्यानादेवी पुत्र जगूराम, 1/6 तुलछीदेवी पुत्री जगूराम, 1/7 केसरददेवी पुत्री जगूराम, 1/8 पप्पूदेवी पुत्री जगूराम, समस्त,कौम—जाट, निवासी—दयालपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. प्रबन्धक, पी.एन.बी., शाखा—ललासरी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 188, R.T.Act.

दिनाँक 15.06.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान्** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

दावा डिक्री सादिर कर शरहद दयालपुरा तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 429 रकबा 33.15 बीघा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 238 दिनांक 21.02.2018

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 238 दिनांक 21.02.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दयालपुरा

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दयालपुरा

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–**238–2012**/रीडर/2018/575 दिनाँक 19/6/18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –अन्तिम निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– **53, 188, R.T.Act.**

वादी		प्रतिवादीगण
1. पोकरराम पुत्र नानगराम, कौम–जाट, आयु–72साल, निवासी–दयालपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	**1.** जगूराम पुत्र नानगराम, (फौत), के वारिशान्– 1/1 जैतुड़ी पत्नी जगूराम, 1/2 धन्नाम पुत्र जगूराम, 1/3 मेघाराम पुत्र जगूराम, 1/4 मोतीराम पुत्र जगूराम, 1/5 श्यानादेवी पुत्र जगूराम, 1/6 तुलछीदेवी पुत्री जगूराम, 1/7 केसरददेवी पुत्री जगूराम, 1/8 पप्पूदेवी पुत्री जगूराम, समस्त,कौम–जाट, निवासी–दयालपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **2.** प्रबन्धक, पी.एन.बी., शाखा–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **3.** तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित अन्तिम निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दयालपुरा

Scanned by CamScanner